श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
A Central University established by an Act of Parliament
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

संख्या.एफ .1(121)/ला.बा.शा.रा.सं.वि/सा.प्र/2021-21/07 दिनांक: 05/04/2021

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों के अनधिकृत प्रवेश व पार्किंग को रोकने हेतु तथा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के निजी वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग के सुचारू संचालन के लिए वाहन स्टीकर (स्थायी / अस्थायी) की अनिवार्यता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग वाहन स्टीकर (स्थायी / अस्थायी) जारी करने की प्रक्रिया में कार्यरत है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय परिसर के निम्नलिखित वर्गों को वाहन स्टीकर सशर्त जारी किए जाएंगे जिनका विवरण निम्न है:-

क्रमांक	कार्मिकों का विवरण	स्टीकर का विवरण
01	समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कार्मिक (स्थायी / Regular)	स्थायी (Permanent)वाहन स्टीकर
02	समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कार्मिक (अनुबंध/ संविदा /अतिथि शिक्षक इत्यादि)	अस्थायी (Temporary) वाहन स्टीकर
03	छात्रों के लिए	अस्थायी (Temporary) वाहन स्टीकर

वाहन स्टीकर की जारी करने के लिए नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से है :-

1. **समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कार्मिक (स्थायी / Regular):-** समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कार्मिकों को केवल **स्वयं अथवा विश्वविद्यालय अभिलेख में दर्ज आश्रितों के नाम पर पंजीकृत** वाहन (दो पहिया/ चार पहिया) के लिए स्थायी (Permanent) वाहन स्टीकर जारी किया जाएगा जिसके लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र व आई-कार्ड की प्रति (स्वयं सत्यापित) एवं विश्वविद्यालय वाहन स्टीकर फॉर्म सामान्य प्रशासन विभाग को जमा कराना होगा।
2. **समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कार्मिक (अनुबंध/ संविदा /अतिथि शिक्षक इत्यादि):-** समस्त शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कार्मिकों (अनुबंध/ संविदा /अतिथि शिक्षक इत्यादि) को केवल **स्वयं अथवा परिवार की परिधि में आने वाले सदस्यों (only blood relation)** के नाम पर पंजीकृत वाहन (दो पहिया/ चार पहिया) के लिए अस्थायी (Temporary) वाहन स्टीकर जारी किया जाएगा जिसकी अवधि ऐसे कार्मिकों की संविदा की समाप्ति की तिथि अथवा एक वर्ष (जो भी पहले हो) के आधार पर होगी। अस्थायी (Temporary) वाहन स्टीकर के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति एवं विश्वविद्यालय वाहन स्टीकर फॉर्म सामान्य प्रशासन विभाग को जमा कराना होगा। आवेदक को परिवार के सदस्य के नाम पर वाहन पंजीकृत होने की स्थिति में सदस्य के आधार कार्ड की प्रति वाहन स्टीकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. **छात्रों के लिए:-** समस्त छात्र-छात्राओं को **स्वयं अथवा परिवार की परिधि में आने वाले सदस्यों (only blood relation)** के नाम पर पंजीकृत वाहन (दो पहिया/ चार पहिया) के लिए अस्थायी (Temporary) वाहन स्टीकर जारी किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष अथवा सत्र की समाप्ति की तिथि के आधार पर होगी। अस्थायी (Temporary) वाहन स्टीकर के लिए वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति एवं विश्वविद्यालय वाहन स्टीकर फॉर्म उससे संबंधित विभागाध्यक्ष सत्यापित करवाने के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग को जमा कराना होगा। छात्रों को अस्थायी (Temporary) वाहन स्टीकर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के शुरू होने पर ही जारी किए जाएंगे। आवेदक को परिवार के सदस्य के नाम पर वाहन पंजीकृत होने की स्थिति में सदस्य के आधार कार्ड की प्रति वाहन स्टीकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के संबंध में समस्त शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कार्मिकों व छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि वाहन स्टीकर प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय वाहन स्टीकर फॉर्म के साथ वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि तथा आधार कार्ड की प्रति (यदि लागू हो) संलग्न कर सामान्य प्रशासन विभाग में दिनांक 15/04/2021 तक जमा कराने का कष्ट करें।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

जे.पी. सिंह 5/4/2021

(जे.पी. सिंह)
सहायक कुलसचिव (सा.प्र.)

संलग्नक: वाहन प्रवेश स्टीकर प्रपत्र

कृ.पृ.उ

प्रतिलिपि:-

(1) समस्त संकाय प्रमुख/ विभागाध्यक्ष
(2) विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)
(3) निदेशक (आई.क्यू.ए.सी)/ प्रॉक्टर/ मुख्य सतर्कता अधिकारी/ छात्रावास अधिष्ठाता
(4) उप-कुलसचिव (लेखा)/ उप-कुलसचिव (परीक्षा)
(5) अधिशासी अभियंता
(6) संगणक प्रमुख को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
(7) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
(8) समस्त सहायक कुलसचिव
(9) समस्त अनुभाग अधिकारी
(10) माननीय कुलपति/ कुलसचिव के निजी सचिव
(11) गेस्ट हाउस प्रभारी
(12) सुरक्षागार्ड कक्ष
(13) समस्त सूचना पट्ट
(14) सम्बंधित पंजिका
(15) कार्यालय आदेश पंजिका

जे. पी. सिंह 5/5/2021

(जे.पी.सिंह)
सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
A Central University established by an Act of Parliament

(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

वाहन प्रवेश स्टीकर के लिए प्रपत्र
(शैक्षणिक एवं गैर- शैक्षणिक कार्मिकों के लिए)

फोटो
(स्वयं सत्यापित)

1. कर्मचारी का नाम : ____________________
2. धारित पद : ____________________
3. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या : ____________________
4. वाहन का प्रकार : ____________________
   (दो पहिया / चार पहिया)
5. वाहन पंजीकृत व्यक्ति का नाम : ____________________
6. कर्मचारी से संबंध : ____________________
   (details of proof enclosed)
7. सेवानिवृति/ अनुबंध समाप्ति की तिथि : ____________________
8. विभाग/ अनुभाग/ संकाय : ____________________

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे दिए भरे गए उपरोक्त विवरण सत्य है तथा किसी भी प्रकार की अनधिकृत/ अवांछित गतिविधि में मेरे पंजीकृत वाहन की संलिप्तता पाए जाने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

(कर्मचारी के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि	वाहन प्रवेश स्टीकर का प्रकार	वाहन प्रवेश स्टीकर संख्या	वैधता तिथि (if temporary)	टिप्पणी
	स्थायी (Permanent)			
	अस्थायी (Temporary)			

वाहन प्रवेश स्टीकर जारी किया जा सकता है।

संबंधित सहायक (सा.प्र) अनुभाग अधिकारी (सा.प्र) सहायक कुलसचिव (सा.प्र)

टिप्पणी :-

1. वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate), परिचय पत्र एवं आधार कार्ड (यदि लागू हो) की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्ग है।
2. प्रत्येक वाहन स्टिकर के लिए अलग प्रपत्र भरना अनिवार्य है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
A Central University established by an Act of Parliament
(Formerly Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Deemed to be University)

वाहन प्रवेश स्टीकर के लिए प्रपत्र
(छात्रों के लिए)

फोटो
(स्वयं सत्यापित)

1. छात्र/ छात्रा का नाम : ______________________
2. वाहन पंजीकृत व्यक्ति का नाम : ______________________
3. वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या : ______________________
4. वाहन का प्रकार : ______________________
   (दो पहिया / चार पहिया)
5. छात्र / छात्रा से संबंध : ______________________
   (details of proof enclosed)
6. आधार कार्ड संख्या : ______________________
   (कार्ड की प्रति संलग्न करें)
7. पाठ्यक्रम : ______________________
8. पाठ्यक्रम वर्ष : ______________________
9. नामांकन संख्या : ______________________

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे दिए भरे गए उपरोक्त विवरण सत्य है तथा किसी भी प्रकार की अनधिकृत/ अवांछित गतिविधि में मेरे पंजीकृत वाहन की संलिप्तता पाए जाने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी |

(छात्र/ छात्रा के हस्ताक्षर)

<u>वाहन प्रवेश स्टीकर प्रपत्र संकाय प्रमुख / विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए |</u>

(संकाय प्रमुख / विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

<u>केवल कार्यालय प्रयोग के लिए</u>

प्रपत्र प्राप्त होने की तिथि	वाहन प्रवेश स्टीकर का प्रकार	वाहन प्रवेश स्टीकर संख्या	वैधता तिथि (if temporary)	टिपण्णी
	स्थायी (Permanent)			
	अस्थायी (Temporary)			

वाहन प्रवेश स्टीकर जारी किया जा सकता है |

संबंधित सहायक (सा.प्र.) अनुभाग अधिकारी (सा.प्र) सहायक कुलसचिव (सा.प्र)

टिपण्णी :-

1. वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate), परिचय पत्र एवं आधार कार्ड (यदि लागू हो) की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है |
2. प्रत्येक वाहन स्टिकर के लिए अलग प्रपत्र भरना अनिवार्य है |